उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-48/2018-19

त्रिवेणी मंडल वगै0

बनाम्

भीम मंडल वगै0

—: आदेश :—

दिनांक

21.01.22

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता त्रिवेणी मंडल, पिता—स्व0 भूपत मंडल वो खुदी मंडल, पिता—स्व0 भुतु मंडल वो सुलोचना देवी वो भवानी देवी, पिता—खुदी मंडल वो किष्टो मंडल, पिता—स्व0 देबु मंडल सभी साकिनान—बाघमारा प्रधान टोला, थाना—पोड़ैयाहाट, जिला—गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय के दाखिल खारिज वाद नं0—01/2017—18 आदेश दिनांक—11.12.2018 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने दाखिल खारिज वाद नं0—01/2017—18 आदेश दिनांक—11.12.2018 के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्तागण एवं उत्तरवादी प्रथम पक्ष कटकी मंडल के वंशज है। कटकी मंडल अपने पीछे छः पुत्रों क्रमशः असरफी मंडल, मटुकी मंडल, मीशीरी मंडल, रामलाल मंडल, नुनु मंडल एवं भुतु मंडल को छोड़ कर फौत हो गये। उक्त छः के नाम से संयुक्त रूप से मौजा—बाघमारा नं0—191 जमाबंदी नं0—3 रकवा 66—00—05 धुर जमीन दर्ज है। सभी छः जमाबंदी रैयत अपने पीछे अनेकों वंशजों को छोड़कर फौत कर गये हैं। लेकिन जमाबंदी रैयत के किसी भी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त जमाबंदी की जमीन का आपसी पारिवारिक बँटवारा नहीं किया गया है। बल्कि आपसी सहमति एवं विश्वास के अनुसार खेती करते आ रहे हैं एवं संयुक्त रूप से खजाना का भुगतान करते आ रहे हैं। जमाबंदी रैयत के कुछ वंशजों के द्वारा जालसाजी करके जमीन का बँटवारा किया गया है। उक्त बँटवारा में सिर्फ दो ही भाईयों के वंशज के द्वारा किया गया है। प्रथम पक्ष में रामचरण मंडल, पे0—असरफी मंडल हैं एवं द्वितीय पक्ष में देबु मंडल, पे0—असरफी मंडल हैं तथा तृतीय पक्ष

भुतु मंडल, पे0–कटकी मंडल हैं। जिसमें प्रथम पक्ष रामचरण मंडल को 09–00–09 धुर, द्वितीय पक्ष को 04–10–00 धुर दिखाया गया है। जबकि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के सहोदर भाई हैं। तृतीय पक्ष को रकवा 09–10–09 धुर जमीन दिखाया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बँटवारा दस्तावेज नं0–95 दिनांक–07.01.1976 गलत एवं अवैध है। हिन्दु कानून के अनुसार उक्त बँटवारा में सभी जमाबंदी रैयत के वंशजों का सहमति होना चाहिए। लेकिन उक्त बँटवारा दो ही जमाबंदी रैयत के वंशजों के द्वारा किया गया है। उक्त बँटवारा के आधार पर नकुल मंडल एवं अन्य के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में मुटेशन केश नं0–202/93–94 (नकुल मंडल एवं अन्य बनाम् रैयान मौजा–बाघमारा) दायर किया गया था। उक्त मुटेशन के विरूद्ध अपीलकर्त्ता एवं अन्य के द्वारा आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया था। अपीलकर्त्ता एवं अन्य के आपत्ति के आधार पर आवेदक के मुटेशन आवेदन को खारिज किया गया था। नकुल मंडल के द्वारा किसी भी न्यायालय में अपील या रिविजन वाद दायर नहीं किया गया था। इसलिए उक्त आदेश अंतिम था। लेकिन भीम मंडल वो नकुल मंडल पे0–रामचरण मंडल के द्वारा उसी बँटवारानामा के आधार पर नामांतरण के लिए अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट को आवेदन दिया। इसके आधार पर अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट ने मुटेशन केश नं0–6/12–13 दायर किया तथा अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट ने राजस्व कर्मचारी से गलत प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक–27.01.2013 को भीम मंडल एवं नकुल मंडल के पक्ष में मुटेशन आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की जानकारी जब कर्मचारी के द्वारा उक्त जमाबंदी की जमीन का लगान रसीद निर्गत किया गया, तब हुआ। इसके बाद अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा को मुटेशन केश नं0–202/93–94 आदेश दिनांक–21.06.95 पर भी विचार करना चाहिए था। लेकिन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के द्वारा उठाये गये तथ्यों पर सही तरीका से विचार किये बिना ही अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बाघमारा थाना नं0–191 जमाबंदी नं0–3 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में असरफी मंडल वो मटुकी मंडल वो मीशीरी मंडल वो रामलाल मंडल वो नुनु मंडल वो मुटु मंडल पे0 कटकी मंडल के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत के उत्तराधिकारी द्वारा पूर्व में आपसी विधिवत बँटवारा वर्ष 1976 में हुआ था। जिसका डीड नं0–95 दिनांक–07.01.1976 है। उसी पारिवारिक बँटवारा के आधार पर सभी फरीकेन अपने–अपने हिस्से की जमीन पर दखलकार चले आ रहे हैं। उक्त पारिवारिक समझोता बँटवारा पर परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा आपत्ति नहीं किया गया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा भी उक्त बँटवारा पर कभी आपत्ति नहीं किया गया है। बँटवारानामा के आधार पर ही सभी पक्ष का हक स्थापित है। दाखिल खारिज तो सिर्फ मालगुजारी लेने हेतु है और उत्तरवादी उसी दाखिल खारिज के आधार मालगुजारी का भुगतान करते आ रहे हैं। इसके पूर्व भी उभय पक्षों के बीच क्रिमिनल मिस केश नं0–554/2017 अनुमंडल दण्डाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में 144 द0प्र0स0 के तहत वाद दायर किया गया था। जिसमें दिनांक–11.01.2018 को आदेश पारित किया गया था कि मामला उभय पक्षों के बीच स्वत्व को लेकर है। जिसका निराकरण इस न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत संभव नहीं है। उनका आगे कहना है कि उभय पक्षों के बीच सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका शिविर, गोड्डा अपील वाद सं0–1727/2016 दायर किया गया। जिसमें आदेश दिनांक–16.11.2016 के द्वारा संबंधित दाग नं0–186, 187, 188, 192, 426, 427, 428, 215, 1605, 1187, 439 कुल रकवा 09–00–09 धुर जमीन भीम मंडल वो नकुल मंडल, पे0–स्व0 रामचरण मंडल के नाम से अलग खाता सं0–2/3 को दर्ज करने का आदेश दिया गया है। उनका आगे कहना है कि अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के द्वारा उत्तरवादी के पक्ष में बँटवारा के आधार पर आदेश पारित किया गया है। उक्त बँटवारानामा के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा आदेश पारित नहीं किया गया है। उसी के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के आदेश को नियम संगत पाते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–बाघमारा नं0–191 जमाबंदी नं0–3 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में असरफी मंडल वो मदुकी मंडल वो मीशीरी मंडल वो रामलाल मंडल वो नुनु मंडल वो मुटु मंडल पे0–कटकी मंडल के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के द्वारा बँटवारानामा दस्तावेज सं0–95/1976 के आधार पर नामांतरण वाद सं0–6/12–13 आदेश दिनांक–27.01.2013 के द्वारा भीम मंडल वो नकुल मंडल के नाम से नामांतरण आदेश पारित किया गया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा निबंधित बँटवारानामा दस्तावेज सं0–95/1976 को रद्द करने संबंधी कोई भी कागजात न तो निम्न न्यायालय में और न ही वर्तमान अपील वाद में दाखिल किया गया है। निम्न न्यायालय के द्वारा उक्त निबंधित बँटवारानामा के आधार पर ही अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय के दाखिल खारिज वाद नं0–01/2017–18 आदेश दिनांक–11.12.2018 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

DB No-1
22.01.22

लिखाया एवं शुद्ध किया।

21/01/—
उपायुक्त,
गोड्डा।

21/01/—
उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 18:02:53 +05:30
Location: 192.168.29.8